



The Jharkhand State Financial Educational Institutions (Grants) Act, 2004

Act No. 04 of 2004

Amendment appended: 04 of 2008

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 200

15 जून, 1926 भाष्ट्रव्य
गैंडी, मैगलबार 6, झालाई, 2004

विधि (विधान) विभाग ।

आधिकारिक

5 जून, 2004

संख्या-एस०जी०-१८/२००३-१८/लैज०--झारखण्ड विधान-सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 25 जून, 2004 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा संसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड राज्य वित्तराहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004

[झारखण्ड अधि०, ०४, २००४]

झारखण्ड राज्य में भीर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रयोग करने के लिए पानी, शर्तों तथा प्रक्रिया के नियरण हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के विधायक बैठक द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

आधार-१

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त भास, विस्तार और प्रारंभ-

- (१) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य वित्तराहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 कहा जा सकता ।
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (३) यह ऐसी तिथि को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से आधिकारिक द्वारा नियत योर और अधिनियम द्वारा घोषित उपरांतों के लिए किन्तु विवर तिथियों नियत की जा सकती नहीं रहेंगी किन्तु भी उपरांत जो संकेत में दर्शाया जाए उसके लिए उपरांत जो उत्तम किन्तु भी निर्देश कर दर्शायेंगे से प्रति निर्देश को रूप में लाया जा सकता, जिसको वह उपरांत प्रवृत्त होगा ।

ज्ञानवृत्ति भाग (विद्यावाचन), मंपलधार 6 जुलाई, 2004

परिमोदाएँ—जब तक संबंध में व्यवस्था अपेक्षित न हो, इस विधेयक में—

- (क) "अनुदान" से अधिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था को दी गयी कोई भी सहायता ।
- (ख) "अनुदान प्राप्त संस्था" से अधिप्रेत है ऐसी कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, जो राज्य सरकार से अनुशंशा अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है ।
- (ग) "अधिविद्य परिषद" से अधिप्रेत है झारखण्ड सरकार हाल स्थापित अधिविद्य परिषद ।
- (घ) "प्रतिकारात्मक भासा" से अधिप्रेत है ऐसे वैष्णवित्व क्षेत्र की प्रतिष्ठाता करने के लिए विद्या गया कोई भासा, जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो, जिसमें व्यातीक्ष पालन किया जाय और इसमें कोई बात्रा भासा सम्मिलित होगा, किन्तु कोई सत्कार भसा या भारत के बाहर किसी भी स्थान तक था से निःशुल्क यात्रा अनुदान सम्मिलित नहीं होगा ।
- (इ) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त और सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विभाजन, इस अधिविद्यम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृद्यों का निर्बन्ध करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी ।
- (च) "शिक्षा निवेशक" से अधिप्रेत है—
- स्नातक और स्नातकोत्तर सहायित्रालयों और सत्त्वामान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में, जो तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से जिस्त है, निवेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिवेशक या उनसे जप्त के अधिकारी ।
 - इंटर गणविद्यालय तथा उच्च विद्यालय के संबंध में निवेशक, वाध्यगिक शिक्षा, झारखण्ड अध्यात्मा, राज्य सरकार, द्वारा प्राधिकृत उपनिवेशक या उनके उपर के अधिकारी ।
 - प्राथमिक एवं पूर्व पद्धति विद्यालयों के संबंध में, निवेशक, प्राधिमिक शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिवेशक या उनसे उपर के अधिकारी ।
- (छ) "क्षेत्रीक उप शिक्षा निवेशक", "लिला शिक्षा उपाधिकारी" एवं "लिला शिक्षा अधीकारी" से अधिप्रेत है ऐसी शिक्षा के प्रभारी जो राज्य सरकार द्वारा उन पर्याप्त और आधिकृति किए गए हो ।
- (ज) "शैक्षिक सोसाइटी" या "शैक्षिक एजेन्सी" से अधिप्रेत है पावन और सरकारी शैक्षणिक संस्था को स्थापित या अनुशासित करने के लिए अनुदान कोई न्यास, व्यापति या व्यापत्तयों का निकारा ।
- (झ) "कर्मचारी" में पावन संस्था ये काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है ।
- (ञ) "विद्यालय संस्था" से अधिप्रेत है इस अध्यादेश के आरंभ के पूर्व स्थापित और ऐसे आरंभ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था ।
- (ट) "संस्था का प्रबन्धन" से अधिप्रेत है किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रभान शैक्षणिक अधिकारी ।
- (ठ) "संस्था" में किसी शैक्षणिक संस्था से संबंधित सभी चल और अबलं संपत्तियों सम्मिलित है ।
- (क्ष) "अनुशासन अनुदान" से अधिप्रेत है किसी संस्था को किसी गया ऐसा आवारी सहायता अनुदान, जिसके ऐसे अनुदान उपर से माने जाने का निर्देश राज्य सरकार सामान्य या विशेष उपदेश द्वारा दे ।
- (ट) "प्रबन्ध मानित" में अधिप्रेत है, किसी संस्था के संबंध में नियम के अधीन गांत्रिक प्रबन्ध सम्भवी और इसमें संचित वा किसी भी नाम जो व्यक्तिगत कोई ऐसा अन्य जटाव सम्मिलित है, जिसमें संबंध वा सामाजिक वा प्रबन्ध और संचालन वाले कई प्राधिकार निहित विद्या यादों हैं ।

- (ग) "गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था" से अधिप्रेत है ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, हिस्ट्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षणिक विद्यालय अधिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित वही गई और चलायी जाती है। या जो राज्य में सौनाँ के शैक्षणिक विकास के लिए कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण जैसे तो स्थापित हो और जो उसके द्वारा प्रबोधित।
- (द) "पात्र संस्था" से अधिप्रेत है कॉडिका-3 में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला शैक्षणिक संस्थान।
- (ध) "वेतन" में किसी कर्मचारी की कुल परिलक्षणीय है जिनमें उसे सत्समय संदेश महंगाई भसा या कोई भी अन्य भासा या अनुत्तीष्ठ सम्मिलित है, किन्तु प्रतिकारात्मक भसा सम्मिलित नहीं है।
- (ह) "भंजूरी प्राधिकारी" से अधिप्रेत है ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार निहित की जाने वाली प्रक्रिया के बानुसार समय-समय पर विनियिष्ट कर, तो अनुदान मंजूर करने के लिए यस्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
- (ध) "राज्य सरकार" से अधिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार।
- (न) 'अध्यापक' से अधिप्रेत है, कोई आचार्य, उपाचार्य या ग्राह्यापक या किसी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अधिहित कोई अन्य व्यक्ति और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है; और
- (प) "विश्वविद्यालय" से अधिप्रेत है झारखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार ये विक्रियाधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय।
- (फ) 'अधिनियम' से अधिप्रेत है, झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004,

बाध्याय-2

३. अनुदान प्राप्ति हेतु पात्रता :

- (क) इस अधिनियम के पासित होने से पूर्व शैक्षणिक संस्था राज्य सरकार द्वारा गैर अनुदानित है तथा सरकारीकरण की अपेक्षा नहीं रखता हो।
- (ख) यदि शैक्षणिक संस्था गैर अनुदानित इटर स्तरीय महाविद्यालय है तो,
- झारखण्ड अधिविद्य वर्षद से स्थाची प्रस्तुति प्राप्त कर सकता हो।
 - रेजस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत किसी सौसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा प्रधाम अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय बर्द तक सौसाइटी या द्रष्ट द्वारा संचालित होने लगे।
 - महाविद्यालय के शासी विकाय विभिन्न गठित हो।
 - झारखण्ड अधिविद्य वर्षद के अधिनियम तथा इसके परिवियों, नियमों संथा राज्य सरकार के नियमों का अनुसार चारता है।
 - विहित प्रक्रम में आवेदन नियम ये यथाविहित प्रक्रिया पूरा करने के हपरान्त झारखण्ड अधिविद्य वर्षद के वायाय से विद्युत संसद या समव संसाधन विकास विभाग में जमा किया जाय।
 - विवादितीय की शैक्षा विद्यालय में पृथाविहित शैक्षा से अनुसूत नहीं हो।
- (ग) विश्वविद्यालय संस्थान गैर अनुदानित व्यावक वित्तीय होता है।

- (ix) कोई नया पादप्रक्रम, कक्षा अनुभाग, विषय, सेक्युरिटी या कोई पारिषोधना प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुदान तथा संक्ष अनुदान नहीं होगा तब तक कि संस्थाम पदाधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो।
- (x) प्रबंध समिति सचिवत् बाली वा समितिज्ञता कारते हुए अपनी आवं को कोई भी भाग वैसे मर्दी घर खर्च नहीं करेगा जो संस्था ये हित के बिल्ड हो।
- (xi) मिथि की उपलब्धता के आधीन रहते हुए संस्था के प्रबंधन को अनुदान दिया जा सके। और उसके लिए अधिकार और खण्ड में दावा नहीं किया जाएगा।
- (xii) सहायता की रकम सामान्यतः प्रबंध समिति के सचिव को री जा सकती, किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लैखाकड़ किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त संशक्ति किए गए, किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को दी जा सकती।
- (xiii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किए जिस अनुदान वा बन्द, कम वा अधिकृत कर सकती।
- (xiv) अनुदान या उससे सूचित कोई भी ज्ञाल या अचल सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए वह मंजूर की गयी थी, से फिल्म किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (xv) विज्ञीय बार्ष के अन्त में अवधीन राशि प्रतिवर्ष ३१ मार्च को या उसके पहले विधाग/सरकार को अधिकृत किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता की अग्री किसी में सामान्यज्ञता किया जाएगा।
- (xvi) संस्था द्वारा वाली यादी विभिन्न प्रकार के शुल्कों के लिए विद्यार्थीजार माँग और मंग्रहण रजिस्टर रखेगी।
- (xvii) कोई भी सहायता अनुदान ऐसी संस्था को अनुदेव नहीं होगा जो लोखा परीक्षण/निरीक्षण से बचती है या लोखा परीक्षण/निरीक्षण पदाधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है।
- (xviii) संस्था के सचिव द्वारा प्रबंध समिति से सम्बन्धित कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करने समय विहित प्रारूप में एक वर्चनलैश तीव्र प्रतियों में प्रतिहस्ताकरण करेगा।
- (xix) संस्था ऐसी अन्य राजी जो अनुसार सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित करे।

अनुदान को लिए प्रक्रिया :

- (1) अनुदान चाहने वाली संस्थिक संस्था, विहित प्रपत्र में अपना आवेदन, यथा विनियोगित तिथि तक संबंधित शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी। विनियोगित तिथि तक शिक्षा निदेशक, अपने द्वारा माम निर्धारित की जाने वाली संस्थित द्वारा ऐतिव निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा और ऐसी समिति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन कराना विनियोगित तिथि तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। ऐसे विनियोगित विवेदी की संवीक्षा निदेशालय की लोखा शारक के प्रयान द्वारा की जाएगी। ऐतिव निरीक्षण संस्थित द्वारा समय-समय पर अनुसूचित संस्थाओं की सूची द्वारा दरक्षाको भेजी जाएगी। ऐसी रिपोर्ट समय संक्षेप संवेदन की प्रश्नात् अनुदान समिति के समझ रख दी जाएगी। जिसमें विनियोगित संवेदन होगे।

(i) प्रश्नाविवेदन विभाग की संधिक

अनुदान

(ii) संबंधित विवेदन

सदृश संचिव

(iii) विवेदन विभाग वाला प्राप्ति

संतुष्ट

शारखण्ड आवास (अनुदान), पांडुलीपुर, गुजरात, ૨૦૧૫

- (2) अधिकृत शिक्षा विभाग प्रियोग वर्ष में उपर्युक्त अनुदान के लिए उपलब्ध हो जाने वाली रकम की सूचना उपर्युक्त संपत्ति को, जब वह सहायता अनुदान के आवेदन पर विचार करने के लिए बैठक करे, देता ।
- (3) और मूल बजेटीय उपर्युक्त संपत्ति राशि उपर्युक्त होती ही सरकार इस आशाम घी सूचना संबंधित निवेशक को देती ।
- (4) अनुदान वाली मात्रा छात्रों की संख्या के आधार पर अनुदान संपत्ति की अनुशैला पर निर्भर करती और अंतिम रूप में उक्ती हो सकती है जिसका द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

7. अनुदान या आवासी अनुदान को अस्थिर रूप दिया जाना—पहले से आवासी अनुदान प्राप्त कर रही संस्था पूर्व वर्ष के अनुदान को अंतिम रूप देने को लिए विहित प्रपत्र में आवेदन निर्विष्ट संक्षण प्राधिकारी को विनिर्विष्ट तिथि तक प्रस्तुत करेगी ।

- (i) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित संस्था के मामले में ऐसा आवेदन जिला शिक्षा प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्विष्ट तिथि तक प्रस्तुत किया जाएगा जो उनकी संवीक्षा संस्था के मूल अभिलेखों के प्रतिनिर्देश आधार पर करेगा और प्रत्येक एवं पर अपनी स्पष्ट सिफारिश के साथ संबंधित विदेशक को अनुदान को अंतिम रूप देने के लिए अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्विष्ट तिथि तक संवीक्षित आवेदन जापा वरेगा ।
- (ii) यदि संस्था निर्धारित तिथि तक आवैद्य संस्कृत करने में विफल रहती है तो उपर्युक्त प्राधिकारी दो महीने तक के विलंब को घाफ कर सकते हैं और दो महीने से अधिक का विलंब सरकार द्वारा घाफ किया जा सकता ।
- (iii) इंटर महाविद्यालयों के आवैद्य शारखण्ड अधिविद्य परिषद् के माध्यम से निवेशक माध्यमिक शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जापा किया जा सकता ।
- (iv) स्नातक स्तरीय एवं समकक्ष महाविद्यालयों, बिनके पाठ्यक्रम (तकनीकी शिक्षा को छोड़कर) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को नियन्त्रणाधीन किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, आपना आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से निवेशक, उच्च शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जापा कर सकता ।

8. आधिक आवासी अनुदान का नियांरण:-

- (i) आधिक आवासी अनुदान अगले वर्ष में भविय अनुदान से समाझोजित के अध्ययीन होगा ।
- (ii) अनुमोदित वर्ष का परिनियांरण इस विषयों और ऐसे अन्य अनुदानों, जो समय-समय पर जारी किए जायें, के अनुसार किया जाएगा ।
- (iii) पांचवां की शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं को अनुदान प्राप्ति के लिए बर्गीकरण विद्यार्थियों की संख्या, महिला संस्थाओं एवं मुक्त शाधर, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों विकासी शिक्षार्थी संस्थाओं के लिए अलग-अलग किया जाएगा ।
- (iv) नियांरण आवैद्य शिक्षार्थी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाले अनुदान की राशि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से नियांरित कर सकती ।

9. आवासी अनुदान का दावा :-

- (i) अनुदान को दावा किया निवेशक द्वारा, जो उपर्युक्त वर्ष के अंतर्गत प्रावधान के भौतिक पहले से सहायता अनुदान की सूची में सम्मिलित संस्था को नियंत्रित रूप से मन्त्र दिया जाएगा ।
- (ii) आदि किसी भी संस्था ने 31 जानूर का स्थान द्वारा 12 महीनों के दौरान 200 से कम विद्यार्थी के लिए घाफ किया है तो विद्यार्थी के अधिकारी द्वारा आवैद्य अनुदान में से अनुमोदित करनी पड़े जा सकती ।

०। अधावशी अनुदान :-

- (क) अनावर्ती अनुदान बहुत अनुमोदित और वारसाधिक व्यथ के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा ।

(ख) अनावर्ती अनुदान भवय (छात्रावासों अङ्गित) के समिरण, मरण्यत और विंतार के लिए, पर्निचर, और इपेस्ट्रार के ब्राय द्वारा लिए और पुस्तकालय-पुस्तकों के ब्राय के लिए पर्व अन्य ऐसे मद यिसे साकार उचित समझे, वे लिए दिया जा सकेगा ।

(ग) सभी मामलों में मैजूर की गयी शरि किम्बुक्स कानून के पूर्व या करते समय यथाधिनिर्दिष्ट बनाधक खिलोख निष्पादित किया जाएगा और पंजीकृत कराया जाएगा ।

1. अनुदान की रोक, क्षणी या विलंबन :-

- (i) अनुदान, मंजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार रोके जाने, कम किए जाने या निलंबित किए जाने के विविताधीन होगा। यदि उसकी राय में प्रबंधन किन्हीं भी शतों का पूरा करने या पालन करने में या इन नियमों में प्रणालीत किन्हीं भी उपलब्धों का अनुपालन करने में या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में विवरण रहा है, परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के धूर्व प्रबंधन को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों और प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

(ii) संस्थान भे विद्यार्थियों की संख्या नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम हो जाने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(iii) शैक्षिक संरक्षण की छात्रों वा प्रीक्षाक्रम 40 प्रतिशत से कम होने पर अनुदान रोक दिया जाएगा।

(iv) महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या किसी विषय विशेष में, नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम होने पर, राजकीय अनुदान से उस विभाग को शिक्षकों तथा कर्मचारियों पर व्याप जहीं किया जाएगा।

2. अपारदान की रोक, कर्मी या नियन्त्रण के विरुद्ध अध्यावैदन :-

आगुवान को रोकने, भगव घरें या इक्षका विलयन मारने के आदेश औ विहङ्ग प्रबंध समिति उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के अंतर राज्य पारकार को अव्याखेतन कर सकेंगी। अव्याखेतन प्रतिष्ठ के तीन माह के अंतर स्पष्ट आदेश पारित कर निष्पादित किया जाएगा।

१०. क्लैखे और संपरीक्षा :-

- (क) वह संस्था जिसे अनुदान दिया गया है, सभी स्रोतों से आय एवं व्यय का लेखा नियम द्वारा अधिकारित है तरीके से सखेगी।

(ख) संस्था को ऐसा करने वाली अधिक अधीक्षण रिपोर्ट शार्ट एकाउटेंट या किसी भी प्राधिकृत अधीक्षण द्वारा प्राप्त रूप से ऐचार की जाएगी।

(ग) संस्था को लैखि तंथा संख्या इष्टोंट संपर्कार भी शिक्षा निवेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, स्वामीय विधि संपर्कों सिवाय और महासंख्यार के समक्ष परिवर्तन एवं संपर्कों के किए लेश किया जाएगा।

झारखण्ड राज्य (भाषाओं), भाषाविवर ५ अप्रैल, २०१४

१४. संस्था का निरीक्षण :-

संस्था के कार्य कालाएँ पर समय पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा विद्यालय/आज्ञा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण कोई भी अधिकारी को पूर्व नोटिस के बिना किसी भी संस्था या ग्राम पंचायत किसी भी भाग का निरीक्षण कर अकेला तथा मौखिय प्रेस निरीक्षण हेतु अधिकारी उपबोध करायी।

१५. अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन :-

अचल संपत्ति का अन्तरण आज्ञा सरकार को पूर्णतया से किया जाएगा। इस हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विवरणित प्रविधियाँ अन्वर्धित होंगी-

- (क) अचल संपत्ति का वर्णन।
- (ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।
- (ग) क्रय/विक्री का वर्ष।
- (घ) क्रय/विक्री की लागत।
- (इ) वर्तमान मूल्य।
- (च) संपत्ति का क्रय/विक्री करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम।
- (छ) अन्तरण के लिए कारण।
- (ज) अन्तरण की प्रकृति।
- (झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
- (ञ) पाँची गयी अन्य सूचनाएँ, यदि कोई हैं।

१६. नियम बनाने की शक्ति:- आज्ञा सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वय करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम लगा सकती।

१७. कठिनाई दूर करने की शक्ति:- यदि इस अधिनियम के उपबोध अधिका इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने हेतु ऐसा आदेश प्रारित कर सकती जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

१८. नियम एवं व्याख्या :-


- (i) बिहार अजनकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रत्येक नियम ग्रहण) अधिनियम, 1981 (अन्तर्न संशोधन) की धारा-19 की उपधारा 'क' को इसके द्वारा नियमित किया जाता है।
- (ii) झारखण्ड राज्य वित्तरहीन शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अध्यादेश 2003 (झा० अध्यादेश 1, 2004) को इस अधिनियम द्वारा नियमित किया जाता है।
- (iii) ऐसे नियम के होने हुए भी उपरोक्त अधिनियम या उपरोक्त अध्यादेश द्वारा या उनके अधीन प्रक्रिया के प्रयोग में किया गया कोई कानून या की गई कोई कार्रनाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रक्रिया के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो वह अधिनियम इस प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रनाई की गयी थी।

झारखण्ड गवर्नर के अधीन है,

तारकेश्वर प्रसाद,

सरकार के सचिव-सह-विधि परम्परा,

झारखण्ड, राँची।



(68)

(126)



सत्यम् चयते

झारखण्ड मंडट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 197

23 फाल्गुन, 1929 शकाब्द
रोची, बृहस्पतिवार, 13 मार्च, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 मार्च, 2008

संख्या एल०जी०-१८/२००३-२४/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 11 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्य वित्त राहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान)
(सशाधन) अधिनियम, 2007

[झारखण्ड अधिनियम ०५, 2008]

झारखण्ड राज्य वित्त राहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम 2004 (झारखण्ड अधिनियम ०४, 2004) के संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के ५८वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संधिया नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य द्वारा रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा।

(ii) यह इसी तिथि असाधारण 5 बुलाई, 2004 से प्रवृत्त होगा, जिस तिथि से झारखण्ड राज्य द्वारा रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 प्रवृत्त है।

(iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड अधिनियम होगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2004 को असाधारण में प्रतिस्थापन।

मन्त्र अधिनियम की घटा-3 की अधारा (ग) (र) में निम्न परिवर्तन -

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कांडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान ग्राहि के दो वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए।"

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कांडिका-2 (एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान ग्राहि के चार वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाए।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसंचालन

13 मार्च, 2008

संख्या एलबी-18/2008-25/लेन-झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को क्रमान्तर झारखण्ड राज्य द्वारा रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधन) अधिनियम, 2007 को निम्नान्वित उपर्युक्त अनुचाल झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के कालीन उक्त अधिनियम का अन्तर्गत भावा में प्राधिकरण अनुचाल जायेगा।

JHARKHAND STATE UNAIDED EDUCATIONAL INSTITUTION (GRANT)
AMENDMENT ACT, 2007
JHARKHAND ACT 04, 2008

AN ACT to amend Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) Act, 2004

Be it enacted in the fifty eighth year of the Republic of India as follows :-

(6)

(124)

Short title, extent and commencement:-

- (i) This Act may be called Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) (Amendment) Act, 2007.
- (ii) It shall come into force on such date i.e. 5th July, 2004 from which date Jharkhand State Unaided Educational Institution (Grant) Act, 2004 has come into force.
- (iii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

2. Substitution in Section 3 of Jharkhand Act 04, 2004:-

The following clause in sub-section (c) (iv) of section 3 of the said Act:-

"The college is registered under section 2 (f) of the University Grants Commission Act 1956 or gets registered as such within two years after receiving the grant."

Shall be substituted by the following provisions, namely:-

"The college is registered under section 2 (f) of the University Grants Commission Act 1956 or gets registered as such within four years after receiving the grant."

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रोनी।

उपीषाक, झारखण्ड राजकीय मतभाइन विधान विधानसभा एवं नगरपालिका
(झारखण्ड गवर्नर (असाधारण)) 197-3004400 जानूर गढ़।